तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान ~~रस्संबर~~ रोडु बनाम ...लालचन्द वगैरह...........	नंबर व अहकाम हुक्म की में जारी
	मुकदमा नं० ...85/2007.... निर्णय दि०...2-11-20...	

उभय पक्ष की आपत्तियों पर गौर किया गया। विवाद का प्रारम्भ शहीद स्थली निर्माण से ही प्रारम्भ हुआ है। वादी अनुसार सभी को रोड पर लगती भूमि दिया जाना मौका स्थिति व काश्त की सुविधा के मद्देनजर व्यावहारिक नहीं है सारी भूमि एक समान उपजाऊ है व अपने-2 हिस्से अनुसार मौके पर काश्त की जा रही है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मुर्तबात व नक्शा में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश दिया जाता है कि नक्शा ट्रेस में A से B 4½ feet B से C 4½ feet से लगातार E0 दिशा में DEF तक 9 feet चौड़े मार्ग का प्रावधान सम्बंधित खातेदारों की भूमि में से देते हुये राजस्व रिकार्ड व नक्शे में विभाजन दर्ज हो। रास्ते में आयी भूमि का आंकलन तहसीलदार द्वारा मुर्तबात रिपोर्ट अनुसार किया जायेगा तथा प्रत्येक खातेदार के हिस्से में आयी भूमि में स्वीकृत रास्ता उसी खातेदार की खातेदारी का भाग ~~[illegible]~~ होगा। ख.न. 193 रा.भू.राज. हेतु रास्ता स्वीकृति प्रस्ताव 1961 अनुसार किये जावेंगे। निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दि. 2.11.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

([illegible] सिंह)
[illegible] जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner